

## पूर्ववर्ती पेंशन योजना को बहाल करने की मांग

### प्रलिस के लयः

नई पेंशन योजना, पूर्ववर्ती पेंशन योजना, PFRDA

### मेन्स के लयः

सरकारी नीतयऱँ और हसुकषेप

## चरुा में क्यऱँ?

कई राज्य पूर्ववर्ती पेंशन योजना को बहाल करने और [राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली](#) (NPS) को वापस लेने की मांग कर रहे हैं ।

- राजसुथान ने कहा है कवऱह अगले वतऱतीय वर्ष से राज्य में पूर्ववर्ती पेंशन योजना को वापस लाऱगा और साथ ही छतुतीसगदु भी इस नीतऱका पालन कर सकतऱ है ।
- केरल, आंध्र प्रदेश और असम की सरकारऱँ ने भी पूर्ववर्ती पेंशन योजना के संबंघ में सतऱतयऱँ का गठन कयऱा है ।

## राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली क्यऱा है?

### ■ परचयः

- इस प्रणाली की शुरुआत केंद्र सरकार ने जनवरी 2004 में (सशसुतर बलऱँ को छोडुकर) की थी ।
  - वर्ष 2018 में इसको सुव्यवसुथतऱ करने तथऱ और अधकऱ आकऱरषक बनऱने के लयऱ केंद्रीय मंत्रमऱडल ने इसके अंतरगत आने वाले केंद्र सरकार के कऱमचारयऱँ को लाभ पहुँचऱने हेतु योजना में बदलाव को मंजूरी दी ।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को सरकार के लयऱ पेंशन देनदारयऱँ से छुटकारऱ पऱने के तरऱके के रूप में लऱन्च कयऱा गयऱा थऱ ।
  - 2000 के दशक की शुरुआत में आयोजतऱ एक अनुसंधऱन का हवालऱ देते हुए एक सतऱचार रऱपऱरुट में बतऱयऱा गयऱा थऱ कऱभऱरत का पेंशन ःरण अतुयधकऱ बढुतऱ जऱ रहा थऱ ।
- NPS की शुरुआत पर केंद्रीय सवलऱ सेवा (पेंशन) नयऱम, 1972 में संशुधन कयऱा गयऱा थऱ ।
- NPS गऱाहकऱँ (सरकारी कऱमचारयऱँ) को यह तय करने की अनुतऱतऱ देतऱा है कऱवऱे अपने पूरे कऱरयऱर में पेंशन खऱते में नयऱतऱ रूप से योगदान कर अपना पैसा कऱसऱ प्रकऱर नवऱश करनऱ चऱहते हैं ।
- सेवऱनवऱुतुतऱ के बऱद वे पेंशन राशऱ का एक हसऱसुसा एकतुशुत नकऱल सकते हैं और बऱकी का उतुपयोग नयऱतऱ आय हेतु 'वऱरुषकऱी' (Annuity) खरीदने के लयऱ कर सकते हैं ।

### ■ कारुयऱनवयनः

- NPS को देश में PFRDA (पेंशन फंड रेगुलेटरी ँंड डेवलतुतऱ अथऱरऱटऱ) दवऱरऱ कारुयऱनवतऱ एवं वनऱतऱतऱ कयऱा जऱ रहा है ।
- PFRDA दवऱरऱ सुथऱपतऱ 'नेशनल पेंशन ससऱसुतऱम टऱरसुट' (NPST) NPS के तहत सऱभी संपतुतुतऱयऱँ का पंजीकृत तऱलकऱ है ।

### ■ वऱशऱषतऱऱँ:

- NPS का 'ऱँल सऱटऱऱन तऱडल' तऱरत के सऱभी नऱगरकऱँ (NRIs सहतऱ) को 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच NPS में शऱतऱलऱ होने की अनुतऱतऱ देतऱा है ।
- यह एक सहतऱगी योजना है, जहऱँ कऱमचऱरी सरकार के सतऱन योगदान के साथ वेतन से अपने पेंशन कऱष में योगदान करते हैं । इसके बऱद नधऱयऱँ को पेंशन नधऱऱ प्रबंघकऱँ के तऱधुतऱ से नऱरऱधऱरतऱ नवऱश यऱजऱनऱऱँ में नवऱश कयऱा जऱतऱा है ।
  - वर्ष 2019 में वतऱतऱ तऱन्तऱलऱय ने कहा थऱ कऱकेंद्र सरकार के कऱमचारयऱँ के पऱस पेंशन फंड (PF) और नवऱश पैटऱरन का चयन करने का वकऱलुतऱ है ।
- सेवऱनवऱुतुतऱ के सतऱन वे कुल राशऱ का 60% नकऱल सकते हैं, जो कर-तुक्त है और शेष 40% वऱरुषकऱी में नवऱश कयऱा जऱतऱा है, जसऱ पर कर लगतऱा है ।
- यहऱँ तक कऱनऱजऱी वुतुतऱतऱ भी इस यऱजऱनऱा का वकऱलुतऱ चुन सकते हैं ।

## पूरववर्ती पेंशन योजना या परभाषति पेंशन लाभ योजना क्या है?

### परचिय:

- यह योजना सेवानवृत्तके बाद आजीवन आय का आशवासन देती है।
- आमतौर पर सुनश्चिति राशा अंतमि आहरति वेतन के 50% के बराबर होती है।
- पेंशन पर होने वाले खर्च को सरकार वहन करती है। वर्ष 2004 में इस योजना को बंद कर दिया गया था।

### मुददे:

- अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मुददा लंबी उमर यानी अधिक पेंशन भुगतान है।
  - उदाहरण के लिये 60 वर्ष की आयु में सेवानवृत्त होने वाले तथा लगभग 80 वर्ष या उससे अधिक की औसत आयु वाले कर्मचारियों को सेवानवृत्तके बाद दो दशकों से अधिक का भुगतान करना पड़ता है।
- इसके अलावा पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थितिमें पति या पत्नी OPS के तहत पेंशन के एक हस्से के हकदार हैं। इससे केंद्र और राज्य सरकारों पर पेंशन का भारी बोझ पड़ता है।

## राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधति मुददे:

- पुरानी योजना (OPS) के तहत कर्मचारियों को पूरव नरिधारति फार्मूले के अनुसार पेंशन मलिती थी जो अंतमि आहरति वेतन का आधा होता है तथा उन्हें वर्ष में दो बार महंगाई राहत (Dearness Relief) में संशोधन का भी लाभ मलित था। भुगतान नरिधारति था और वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती थी। इसके अलावा OPS के तहत सामान्य भवषिय नधि (General Provident Fund-GPF) का भी प्रावधान था।
- हालाँकि NPS में कर्मचारियों को मूल वेतन का 10% महंगाई भत्ते के साथ जमा करने की आवश्यकता होती है यह कोई जीपीएफ लाभ नहीं है और न ही इसमें पेंशन की राशातिय है। इस योजना के साथ प्रमुख मुददा यह है कि यह रटिरन-आधारति तथा बाज़ार से जुड़ा हुआ है। सरल शब्दों कह सकते हैं कि इसमें भुगतान अनश्चिति है।

## पेंशन नधि विनियामक और विकास प्राधकिरण:

### परचिय:

- यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के व्यवस्थति विनियमन, इसे बढ़ावा देने और सुनश्चिति करने के लिये संसद के एक अधनियम द्वारा स्थापति वैधानिक प्राधकिरण है।
- यह वतित मंत्रालय के वतितिय सेवा वभाग (Department of Financial Service) के अंतर्गत कार्य करता है।

### कार्य:

- यह वभिन्नि मध्यवर्ती एजेंसियों जैसे- पेंशन फंड मैनेज़र (Pension Fund Manager), सेंटरल रकिॉर्ड कीपिंग एजेंसी (Central Record Keeping Agency) आदि की नयुक्ति का कार्य करता है।
- यह NPS के तहत पेंशन उदयोग के विकास, इसे बढ़ावा देने और नयितरण का कार्य करता है तथा [अटल पेंशन योजना](#) का प्रबंधन भी करता है।

## यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में सम्मलिति हो सकता है?

- (a) केवल नविसी भारतीय नागरकि।
- (b) केवल 21 से 55 वर्ष तक की आयु का व्यक्ती।
- (c) राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी, जो संबंधति राज्य सरकार द्वारा अधसूचना जारी किये जाने की तारीख के पश्चात् सेवा में आए हैं।
- (d) सशस्त्र बलों समेत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी, जो 1 अप्रैल, 2004 को या उसके बाद सेवाओं में आए हैं।

उत्तर: (c)

## स्रोत: द हट्टि